मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ. 03–22 / 2013 / 10–2 भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल.

विषयः–निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना विषयक।

संदर्भः–अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी की यू.ओ.टीप क्रमांक 119, दिनांक 23.05.2013.

----0----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित टीप से प्रस्तुत **"निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना"** शासन द्वारा स्वीकृत की जाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(बी.आर.सुनहरे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्र. क्रमांक एफ.03–22 / 2013 / 10–2 भोपाल, दिनांक जून, 2013

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय वन मंत्रीजी की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्रीजी, वन की ओर सूचनार्थ।
3. गार्ड फाइल हेतु।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

4270
29-6-13

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना

मध्यप्रदेश राज्य वन नीति में प्रदेश में निजी भूमि पर वानिकी को बढ़ावा देकर प्रदेशवासियों की आय का साधन बढ़ाने तथा शासकीय वनों पर दबाव कम करने हेतु वृक्षारोपण कर यथासंभव वनों के बाहर काष्ठ की आवश्यकता की पूर्ति का प्रावधान है। मध्यप्रदेश राज्य वन नीति, 2005 की कंडिका 3.8.2 में उल्लेख है कि "काष्ठ की आवश्यकता की पूर्ति यथासंभव वनों के बाहर से करने हेतु ग्रामीणों/कृषकों को खेतों की मेड़ों तथा निजी पड़त भूमि पर वृक्ष लगाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। इस हेतु उल्लेखनीय कार्य करने वाले कृषकों को पुरस्कृत करने हेतु समुचित योजना लागू की जायेगी। कम जोत वाले छोटे किसानों को वानिकी हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें विशेष प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया जायेगा।"

इसी प्रकार नीति की कंडिका 3.8.5 में उल्लेख है कि "कृषकों को निजी भूमि पर अधिक से अधिक फलदार एवं खाद्य पदार्थ देने वाली वृक्ष प्रजातियों के रोपण हेतु प्रेरित किया जायेगा। इस हेतु उन्हें महुआ, चिरौंजी आदि महत्वपूर्ण फलदार एवं खाद्य प्रजातियों के पौधे उपलब्ध कराए जायेंगे।"

उपरोक्त नीतिगत प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु व्यवस्थाएं विकसित करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश में निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की निम्नानुसार योजना है:–

2. योजना का उद्देश्य :

योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

2.1 प्रदेश में निजी भूमि पर वृक्षारोपण खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने में सहायता करना।

2.2 वृक्षारोपण के माध्यम से भू-जल संरक्षण करना।

2.3 निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर शासकीय वनों पर दबाव कम करना।

3. योजना के घटक :

योजना के निम्नलिखित घटक हैं :–

3.1 खंड वृक्षारोपण (Block Plantation)।

3.2 खेत की मेड़ पर वृक्षारोपण।

26/6/13

50

4. योजना की रूपरेखा :

4.1 खंड वृक्षारोपणः निजी भूमि पर एक ही स्थल पर खंड के रूप में वृक्षारोपण।

4.2 मेड़ वृक्षारोपणः कृषि भूमि की मेड़ पर वृक्षारोपण।

5. आवेदन की प्रक्रिया :

5.1 इच्छुक व्यक्ति/कृषक निर्धारित प्रारूप–1 में वनदूत के माध्यम से अथवा सीधे स्वयं अपने जिले में अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त के रोपणी प्रभारी को अथवा अनुसंधान विस्तार वृत्त कार्यालय में अथवा वन परिक्षेत्र अधिकारी (क्षेत्रीय) कार्यालय में अथवा वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) कार्यालय में योजना अन्तर्गत आगामी वर्ष में पौधे प्राप्त करने हेतु माह मार्च से जून में आवेदन कर सकेगा, ताकि पौधों की तैयारी मांग अनुसार की जा सके।

5.2 संबद्ध कार्यालय जहां आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, वे कार्यालय आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर संबंधित मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त को प्रकरण के निराकरण एवं पौधों की व्यवस्था हेतु आवेदन अग्रेषित करेंगे।

5.3 अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में पौधों की मांग की जाती है, तो रोपणी में उपलब्ध पौधों से उसकी पूर्ति की जावेगी। यदि आगामी वर्ष के लिए पौधों की मांग की जाती है तो रोपणी में तैयार किये गये पौधों की सूचना 3 माह के अन्दर आवेदक को उसके दूरभाष/मोबाईल पर अथवा डाक द्वारा आवेदक के पते पर दी जायेगी। आवेदक के उपस्थित होने पर संबंधित रोपणी से निर्धारित मूल्य पर पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे।

6. वनदूत :

इस योजना में वनदूत से तात्पर्य अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त द्वारा पंजीकृत ऐसे व्यक्ति से है जो स्वयं रोपणी से पौधा प्राप्त कर कृषकों की भूमि पर पौधा रोपण करायेगा तथा उसका रख–रखाव सुनिश्चित करेगा। ऐसा व्यक्ति योजना के अन्तर्गत सफल निजी वृक्षारोपण के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

7. योजना की रूपरेखा :

योजना में प्रोत्साहन का स्वरूप निम्नानुसार होगा :–

26/6/13

7.1 योजना के अंतर्गत चयनित भूमिस्वामियों को न्यूनतम 100 पौधों के सफल रोपण हेतु प्रोत्साहन दिया जावेगा। भूमि–स्वामी अपनी इच्छानुसार प्रजाति का चयन कर रोपण कर सकेंगे।

7.2 योजना के अंतर्गत आवेदक को रोपण के उपरांत आगामी प्रथम व द्वितीय वर्ष में प्रति जीवित पौधे पर रू. 3/– प्रति पौधा की दर से तथा तृतीय (अंतिम वर्ष) में रू. 4/– प्रति जीवित पौधे की दर से प्रोत्साहन राशि दी जावेगी। यह प्रोत्साहन राशि न्यूनतम 65 प्रतिशत पौधों के जीवित रहने की दशा में ही जीवित पौधों हेतु देय होगी।

7.3 निजी भूमि पर रोपण को बढ़ावा देने के लिये विभाग द्वारा पंजीकृत वनदूत के माध्यम से आवेदन प्राप्त होने की दशा में भूमिस्वामी द्वारा रोपित पौधों में 65 प्रतिशत से अधिक पौधे जीवित होने की दशा में वनदूत को आगामी प्रथम वर्ष में प्रति पौधा रू. 2/– तथा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रति जीवित पौधा रू. 1/– की प्रोत्साहन राशि आवेदक को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि से पृथक दी जावेगी।

7.4 जीवित पौधों के आधार पर योजना में प्रोत्साहन राशि का लाभ भूमिस्वामी को केवल 3 वर्षों तक मिलेगा।

7.5 प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी –

(क) आवेदक को नियत सीमा के भीतर वांछित संख्या में पौधे/रूटशूट निर्धारित मूल्य (न लाभ न हानि) के आधार पर उपलब्ध कराये जायेंगे। पौधों/रूटशूट का रोपणी से रोपण स्थल तक परिवहन आवेदक को स्वयं करना होगा।

(ख) आवेदक द्वारा प्रारूप–2 में जीवित पौधों के प्रतिशत का एक घोषणा पत्र, जिसमें दिये गये विवरण की पुष्टि दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा कराई गई हो, प्रस्तुत किया जावेगा। यह घोषणा पत्र मार्च माह में प्रस्तुत किया जावेगा। घोषणा पत्र आवेदक द्वारा सम्बंधित मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार कार्यालय या रोपणी प्रभारी जहाँ से पौधे प्राप्त किये है, को प्रस्तुत कर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने का दावा प्रस्तुत किया जावेगा। गवाहों द्वारा प्रमाणित और भूमिस्वामी द्वारा प्रस्तुत यह दावा ही प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिये सामान्यतः पर्याप्त होगा, परंतु संबंधित अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त के भारसाधक अधिकारी आवश्यक समझने पर स्वयं या उनके द्वारा नामांकित किसी वन कर्मचारी/अधिकारी अथवा वनदूत के माध्यम से

26/6/13

रोपण स्थल का मुआयना करके दावे की सत्यता की पुष्टि करने के लिये स्वतंत्र रहेंगे।

(ग) रोपण के द्वितीय वर्ष में भी आवेदक द्वारा प्रारूप–2 में वर्ष का उल्लेख करते हुए स्वयं प्रमाणित तथा दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा पुष्टि किया गया घोषणा पत्र पेश करते हुए दावा प्रस्तुत किया जावेगा। इस दावे के आधार पर आवेदक को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

(घ) आवेदक तृतीय वर्ष में दावा प्रारूप–2 में उसी प्रकार प्रस्तुत करेगा जैसा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में किया गया था। अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के उपरांत ही तृतीय वर्ष की प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।

(घ) वृक्षारोपण के तृतीय (अंतिम वर्ष) में इस योजना के अंतर्गत लगाये गये वृक्षों का सत्यापन अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त के भारसाधक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामांकित वन कर्मचारी/वन विस्तार अधिकारी/सहायक वन संरक्षक द्वारा किया जाकर प्रारूप–3 में सत्यापन प्रमाणपत्र कैलेंडर वर्ष के माह मार्च के पूर्व अनिवार्यतः जारी किया जावेगा। इस सत्यापन प्रमाण पत्र के आधार पर लाभार्थी को पात्रता अनुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जावेगा ।

(ड.) योजना के अंतिम वर्ष में उपरोक्तानुसार कराये गये सत्यापन में 65 प्रतिशत से कम पौधे जीवित होने की दशा में शेष प्रोत्साहन राशि का भुगतान रोका जा सकेगा।

प्रोत्साहन राशि उदाहरणार्थः यदि रोपण कार्य जुलाई 2013 में किया गया है तो 65 प्रतिशत जीवित पौधों का सत्यापन सम्बंधी प्रमाण पत्र मार्च 2014 में प्राप्त होने पर प्रथम किश्त प्रोत्साहन राशि का वितरण अप्रैल/मई 2014 में किया जायेगा। इसी प्रकार आगामी वर्षों में भी प्रक्रिया तद्नुसार संचालित की जावेगी।

8. योजना का क्रियान्वयन :

योजना का क्रियान्वयन वन विभाग की अनुसंधान एवं विस्तार शाखा द्वारा किया जावेगा। क्षेत्रीय स्तर पर कार्यवाही हेतु अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त नोडल होगा। पौधों की व्यवस्था अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त की रोपणियों से की जावेगी। वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण हो जाने पर कंडिका–7 अनुसार प्रोत्साहन राशि अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त

21/6/13

के भारसाधक अधिकारी द्वारा संबंधित आवेदक/वनदूत के बैंक खाते में ही अनिवार्यतः जमा की जायेगी।

9. वित्तीय प्रावधान :

प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिये नये बजट मद का निर्माण किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2014–15 में अधिकतम रूपये एक करोड़ तक की ही प्रोत्साहन राशि वितरित की जायेगी।

योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले पौधों की तैयारी तथा वनदूत एवं कृषकों के प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों के लिये उपलब्ध बजट मदों में प्राप्त आबंटन का उपयोग किया जावेगा।

10. प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार :

प्रदेश के अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों/क्षेत्रीय वृत्तों एवं वनमंडलों एवं अन्य शासकीय कार्यालयों द्वारा योजना का प्रचार–प्रसार रेडियो, समाचार पत्र एवं वन समितियों के माध्यम से किया जायेगा। वृक्षारोपण से संबंधित तकनीकी जानकारी संबंधित आवेदक/वनदूत को समीपस्थ रोपणी स्थल पर वन विस्तार अधिकारी द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से दी जायेगी।

11. आवेदक द्वारा वृक्षारोपण का पंजीयन कराना :

निजी भूमि में किये गये वृक्षारोपण का पंजीयन तहसील/क्षेत्रीय वन परिक्षेत्र कार्यालय में आवेदक द्वारा कराया जायेगा, जिससे भविष्य में वृक्षों की कटाई में छूट की सुविधा आवेदक को प्राप्त हो सके। आवश्यकतानुसार भविष्य में वृक्ष पातन नियम एवं परिवहन अनुज्ञा पत्र नियमों में संशोधन भी किया जायेगा।

12. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :

योजना अन्तर्गत वृक्षारोपण का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन संबंधित अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों द्वारा किया जायेगा।

यह योजना वित्तीय वर्ष 2013–14 से लागू होगी, परन्तु प्रथम किश्त की राशि का भुगतान वर्ष 2014–15 में किया जायेगा।

24/6/13

———————

54

प्रारूप–1

निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत वृक्षारोपण करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

रोपण वर्ष ....

आवेदक की नवीनतम
फोटो यहां चिपकाई जाए

प्रति,

....,
....,
....

द्वारा:– आवेदक द्वारा स्वयं अथवा वनदूत के माध्यम से।

विषय:–निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत वृक्षारोपण करने हेतु आवेदन।

निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वृक्षारोपण करना चाहता हूँ। मेरी भूमि के सम्बंध में तथा अन्य जानकारी निम्नानुसार है :–

क. आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी

1. आवेदक का नाम–
2. पिता/माता/पति का नाम–
3. आवेदक का मोबाईल/दूरभाष नं. एस.टी.डी. कोड सहित–
4. पत्र व्यवहार का पता–
5. जाति– सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग

ख. आवेदक की निजी भूमि जिसमें वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, की जानकारी

6. ग्राम–
7. विकास खण्ड–
8. जिला–
9. पटवारी हलका नम्बर–
10. खसरा नम्बर–

ग. वृक्षारोपण हेतु जानकारी

11. रोपण का प्रकार– खण्ड वृक्षारोपण/खेत की मेड़ पर वृक्षारोपण
12. खण्ड वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (हे. में)/खेत की मेड़ की लम्बाई (मीटर में)

26/6/13

13. रोपित किये जाने वाले पौधों की प्रजातिवार संख्या–

प्रजाति	संख्या

घ. दस्तावेजों की जानकारी

14. संलग्न – खसरा एवं नक्शा की नकल प्रति

15. बैंक पासबुक की सत्यापित प्रति जिसमें आवेदक का नाम, फोटो एवं खाते का विवरण दर्ज हो–

(जो लागू न हो उसे काट दें)

मैंने योजना के संबंध में वन विभाग से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। मैं इस योजना में सम्मिलित होना चाहता/चाहती हूँ। योजना के अंतर्गत रोपणी से लागत मूल्य पर उपलब्ध कराये गये पौधों को स्वयं की भूमि पर रोपण करूंगा/करूंगी तथा योजना अवधि तक रोपित पौधों की सुरक्षा न्यूनतम नियत प्रतिशत तक सुनिश्चित करूंगा/करूंगी ।

आवेदक का दिनांक सहित हस्ताक्षर एवं नाम

दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर

हम निम्नानुसार गवाही देने वाले व्यक्ति आवेदक श्री/श्रीमती/कु. .... पिता/पति श्री .... निवासी .... को .... वर्षों से जानते हैं और उनके द्वारा दी ऊपर दी गई जानकारी की तस्दीक करते हैं ।

1. नाम ....
   पता ....
   हस्ताक्षर ....

2. नाम ....
   पता ....
   हस्ताक्षर ....

26/6/13

प्रारूप–2

आवेदक द्वारा जीवित पौधों के प्रतिशत से संबंधित स्वयं जारी घोषणा पत्र

रोपण वर्ष – ....

प्रति

भारसाधक अधिकारी
अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त ....
मध्यप्रदेश

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/श्रीमती..पिता/माता/पति .... ग्राम......................विकासखण्ड.. जिला .... का निवासी हूँ। मेरे द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि, खसरा नं .... क्षेत्रफल................एकड़ में .... (पौधों की संख्या) पौधों/रूट–शूट का खण्ड/मेड़ वृक्षारोपण वर्ष .... में स्वयं वनदूत बनकर/वनदूत (श्री/श्रीमती/कु. ....) के माध्यम से किया गया है।

मेरे द्वारा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में स्वयं किये गये वृक्षारोपण का निरीक्षण दिनांक ...... को .... किया गया है, जिसमें .... (पौधों की संख्या) पौधे जीवित हैं/........... रूट–शूट स्थापित हैं। पौधों की औसतन ऊंचाई .... फीट है। जीवित पौधों के .... जीवितता प्रशितत के आधार पर मुझे योजना के अंतर्गत रोपण वर्ष .... की प्रोत्साहन राशि रू .... की पात्रता बनती है ।

कृपया उपरोक्तानुसार प्रोत्साहन राशि आवेदक के बैंक खाता क्रमांक...................... बैंक का नाम एवं पता .... बैंक का I.F.S.C. कोड .... में भुगतान करने की कृपा करें ।

हस्ताक्षर आवेदक

दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर

हम निम्नानुसार गवाही देने वाले व्यक्ति आवेदक श्री/श्रीमती/कु. .... पिता/पति श्री .... निवासी .... के वृक्षारोपण का निरीक्षण दिनांक ....को भूमिस्वामी द्वारा स्वयं किये जाने के समय मौके पर उपस्थित थे और उनके द्वारा दी ऊपर दी गई जानकारी की तस्दीक करते हैं ।

1. नाम......................
   पता......................
   हस्ताक्षर ....

2. नाम......................
   पता......................
   हस्ताक्षर ....

प्रारूप–3

तृतीय वर्ष हेतु वृक्षारोपण सत्यापन प्रमाण पत्र

प्रति,

भारसाधक अधिकारी
अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त ....
मध्यप्रदेश.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.. पिता/माता/पति ....ग्राम......................विकासखण्ड................................... जिला................................का निवासी है, इनके स्वामित्व की भूमि, खसरा नं........... क्षेत्रफल...............एकड़ में ....(पौधों की संख्या) पौधों/रूट–शूट का खण्ड/मेड़ वृक्षारोपण दिनांक .... को स्वयं वनदूत बनकर/वनदूत के माध्यम से किया गया है। निरीक्षण दिनांक .... को ....(पौधों की संख्या) पौधे जीवित हैं। पौधों की औसतन ऊंचाई .... फीट है। जीवित पौधों का प्रतिशत .... है।

सहायता राशि आवेदक के बैंक खाता क्रमांक......................... बैंक का नाम एवं पता .... बैंक का I.F.S.C. कोड .... में भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर आवेदक
दिनांक सहित

हस्ताक्षर
सत्यापनकर्ता अधिकारी
नाम एवं पदमुद्रा दिनांक सहित

26/6/13